भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 25

दिनांक 17.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच

†25. श्री नरेश अग्रवालः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि शौचालयों के निर्माण के बावजूद ग्रामीण आबादी आज भी खुले में शौच करने की अपनी पुरानी आदत नहीं बदल पा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; सरकार उनमें जागरुकता लाने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या जितने शौचालयों का निर्माण हुआ है उन सबका उपयोग किया जा रहा है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

(क) स्वच्छता एक व्यवहारगत विषय है। इसमें खुले में शौच को रोकने एवं सुरक्षित स्वच्छता प्रथा को अपनाने हेतु लोगों की सोच में परिवर्तन लाना शामिल है। चूंकि समुदाय के कुछ सदस्यों के बीच भी व्यवहार में परिवर्तन की कमी से पूरा समुदाय संकट में पड़ सकता है, अतः पूरे गाँव के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना भी एक अन्य चुनौती है।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का फोकस, सुरक्षित स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई अपनाने के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर है। लोगों को शिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम सामुदायिक भागीदारी पर बल देता है। कुल संसाधनों का 8% तक सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) पर व्यय किया जा सकता है- इसमें से 5% तक राज्य और जिला स्तरों पर व्यय किया जा सकता है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम 60% आईईसी निधियों को अंतर वैयक्तिक संप्रेषण (आईपीसी) गतिविधियों पर खर्च करें। कई राज्य सामुदायिक दृष्टिकोण पर बल दे रहे हैं जिसमें वे लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर प्रेरित कर रहे हैं और कुछ प्रेरक उपकरणों का प्रयोग करके लोगों को स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं। इसके अलावा, जनता को शिक्षित करने के लिए परंपरागत आईईसी उपकरणों का भी प्रयोग किया जा रहा है। लोगों को शिक्षित करने के लिए कलेक्टरों और प्रमुख स्टेकहोल्डरों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) ग्रामीण भारत में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छ शौचालय की सुविधा प्राप्त कर चुके परिवारों में से 95.6% लोग इसका उपयोग करते पाए गए।